न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 15/2023 बउनवानी प्रियंका गौत्तम बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पत्नि देवप्रिय गौत्तम, पुत्री सुरेश चन्द गौत्तम निवासी –1/506 हाउसिंग बोर्ड स0मा0
GCMS No-2023/32

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.4.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. देवप्रिय गोत्तम पुत्र श्री सुभाष चन्द गोयल, निवासी गोत्तम कॉलोनी आकाशवाणी के पीछे सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर मे निजी अनुभाग कार्यालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। प्रार्थीया व देवप्रिय के बीच फैमिली कोर्ट सवाईमाधोपुर मे 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का मुकदमा विचाराधीन है जिसमे देवप्रिय की वर्तमान नवम्बर, 2022 से दिसम्बर,2022 तक की पे स्लिप की आवश्यकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(जे) का हवाला देते हुए अभी तक मुझको उपलब्ध नही करवायी गयी है जबकि अपीलान्ट श्री देवप्रिय गोत्तम की पत्नि होने के कारण उक्त धारा अपीलान्ट पर लागू नही होती है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.13(1)(08)सूकाअ/2023/1996 दिनांक 29.3.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.1.2023 मे चाही गयी सूचना श्री देवप्रिय गोत्तम की (माह 11/2022 व 12/2022 की पे स्लिप) निजी जानकारी से संबंधित होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक समा/एफ.13(1)(8)/सूकाअ/2023/1695 दिनांक 30.1.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उक्त संबंध में श्री देवप्रिय गौत्तम द्वारा भी दिनांक 15.3.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी निजी सूचना किसी को भी नही दिये जाने बाबत अनुरोध करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 10044/2010 उनवानी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल निर्णय दिनांक 13.11.2019 को पारित किया गया है जिसकी पालना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ग्रुप–7 के पत्रांक प.6(1)राज–7/2019/विविध जयपुर दिनांक 12.8.2021 को सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी के वेतन से संबंधित निजी जानकारी किसी को भी देय नही है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.1.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के [illegible] होने के कारण गोपनीय माना गया है तथा ऐसी निजी सूचनाओ को किसी अन्य व्य[illegible]लब्ध नही करवाने बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 100[illegible] अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 मे भी [illegible] निर्देश दिये गये है [illegible] परिप्रेक्ष्य मे भी उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थि[illegible]पील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible]म्बर से कम हो एवं [illegible]मील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested